



पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय,
रायपुर (छ.ग.)

क्रं. 538 / वित्त / 2024

रायपुर, दिनांक 16 / 12 / 2024

प्रति,

समस्त अध्यक्ष / विभाग प्रमुख,

..... अध्ययनशाला / विभाग

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

विषय:- वित्तीय वर्ष 2024-25 कर निर्धारण वर्ष 2025-26 आयकर की कटौती विषयक।

.....00.....


विषयांतर्गत सूचित करना है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के वेतन शीर्ष एवं अन्य स्रोतों से प्राप्त होने वाले सभी आय का एवं आयकर छूट के लिए निवेश राशि का उल्लेख करते हुए, वास्तविक आयकर की गणना हेतु अपने अधीनस्थ सभी अधिकारियों / शिक्षकों एवं कर्मचारियों को कृपया निर्देशित करें कि वे वित्त विभाग से गणना पत्रक प्राप्त करें स्वतः आय-आंकलन प्रपत्र दिनांक 25 दिसम्बर, 2024 तक वित्त विभाग में अनिवार्य रूप से जमा कर दें ताकि सभी वर्ग के कर्मचारियों के माह दिसम्बर-2024 तथा जनवरी 2025 एवं फरवरी 2025 के वेतन से देय आयकर की कटौती की जा सके।

जिनकी गणना पत्रक दिनांक 25 दिसम्बर 2024 तक अप्राप्त रहेगी उनकी देय आयकर की कटौती आयकर अधिनियम 1961 की धारा 192 के तहत वेतन आहरण एवं संवितरण अधिकारी को प्रदत्त उत्तरदायित्व के तहत माह दिसम्बर-2024, जनवरी 2025 एवं फरवरी 2025 के वेतन से वित्त विभाग के वेतन शाखा द्वारा स्वतः आंकलन कर कटौती कर दी जायेगी और इसका उत्तरदायित्व संबंधितों की होगी।

आयकर विभाग के मांग के अनुसार गणना पत्रक प्रस्तुत करते समय सभी अधिकारी / शिक्षक एवं कर्मचारी अपना स्थायी लेखा संख्या (PAN) का उल्लेख करते हुए स्थायी लेखा संख्या पत्र (PAN Card) की छायाप्रति अनिवार्य रूप से संलग्न कर प्रस्तुत करेंगे।

टीप:-

1. दिनांक 25 दिसम्बर 2024 तक आयकर गणना पत्रक अनिवार्य रूप से भरकर वेतन शाखा, वित्त विभाग को प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें।


(डॉ. शैलेन्द्र कुमार पटेल)
कुलसचिव

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)
आयकर गणना प्रपत्र वित्तीय वर्ष 2024-2025
कर निर्धारण वर्ष 2025-2026

नाम कर्मचारी पद

आयकर स्थायी लेखा क्रमांक (PAN)

(आयकर विभाग के मांग अनुसार स्थायी लेखा संख्या (PAN CARD) की छाया प्रति संलग्न करना अनिवार्य है)

1.	सकल वेतन (समस्त भत्तों तथा एरियर्स राशि सहित)	रु.
2.	मुक्त आवासीय सुविधा US 17 (2) (यदि कर्मचारियों को निम्नलिखित परिलब्धियां मिलती हों तो उसका मूल्यांकन कर वेतन शीर्ष अंतर्गत जोड़ना है) फार्म नं. 12 संलग्न करना अनिवार्य है	
अ.	मुक्त आवासीय सुविधा (कुल वेतन का 10%)	रु.
ब.	निजी उपयोग परिवहन सुविधा, फर्निचर सुविधा (फर्निचर आदि की मूल कीमत का 10%)	रु.
स.	मुक्त घरेलू नौकर/माली/चौकीदार सुविधा	रु.
	योग (1+2)	रु.
3.	घटाइए -	
अ.	गृह भाडा भत्ता (मकान भाडा रसीद संलग्न करने पर) (1) वारताविक गृह भाडा भत्ता	रु.
	(2) वेतन के 10% से अधिक अदा किया गया किराया	रु.
	(3) वेतन का 40% (उपरोक्त गणना में जो कम हो, उस पर छूट प्राप्त होगी)	रु.
ब.	वाहन भत्ता (अधिकतम रु. 800 प्रतिमाह)	रु.
स.	अन्य भत्ते (विवरण सहित)	रु.
द.	मानक कटौती U/S 16 (ia) (अधिकतम रु0 75,000/- तक)	रु.
	योग (अ + ब + स + द)	रु.
4.	वेतन से कुल आय (1+2 -3)	रु.
5.	मकान ऋण पर देय व्याज की राशि (अधिकतम रु. 2,00,000 तक)	रु.
	योग (4-5)	रु.
6.	अन्य स्रोतों से आय -	
1.	विभिन्न निवेशों से प्राप्त व्याज की राशि	रु.
2.	परीक्षा/अन्य पारिश्रमिक/कमीशन की राशि	रु.
3.	गृह सम्पत्ति से आय	रु.
7.	कुल सकल आय (5+ 6)	रु.
8.	घटाइए -(Under Chapter VI-A)	
अ.	धारा 80-C के अधीन छूट	
1.	सामान्य भविष्य निधि में अंशदान (अग्रिम के विरुद्ध वापसी शामिल नहीं होगी)	रु.
2.	भारतीय जीवन बीमा प्रीमियम	रु.
3.	समूह बीमा योजना या परिवार कल्याण निधि योजना-	रु.
4.	राष्ट्रीय बचत पत्र	रु.
5.	राष्ट्रीय बचत पत्र पर व्याज की राशि (प्रथम पांच वर्ष पर)	रु.
6.	लोक भविष्य निधि (पी.पी.एफ.)	रु.
7.	भारतीय यूनिट ट्रस्ट की यूनिट प्लान	रु.
8.	गृह निर्माण ऋण की वापसी	रु.
9.	ट्यूशन फीस (दो बच्चों की)	रु.
10.	टैक्स सेविंग्स म्युचुअल फंड में निवेश (E.L.S.S.)	रु.
11.	बैंक/डाकघर में स्थाई जमा (एफ.डी.आर.)	रु.
12.	सुकन्या समृद्धि खाते में निवेश	रु.
13.	जीवन पेंशन सुरक्षा पालिसी 80-CCC	रु.

	धारा 80-C एवं 80-CCC के अधीन बचत का कुल योग -	रु.
	(अधिकतम रु. 1,50,000/- तक)	
ब.	चिकित्सा बीमा प्रीमियम (धनादेश द्वारा भुगतान) -	रु.
	अधिकतम सीमा रु. 25,000/- (धारा 80-D) वरिष्ठ नागरिक	
	50,000/- पूरी रसीद संलग्न करने पर	रु.
स.	आश्रित विकलांग को चिकित्सा पर खर्च धारा 80-DD	
	अधिकतम सीमा रु. 50,000/- तक एवं गहन विकलांगता की	
	स्थिति में रु. 75,000/- तक चिकित्सा का प्रमाण पत्र	
	संलग्न करने पर	रु.
द.	प्रधानमंत्री राष्ट्रीय सहायता कोष व अन्य दान	
	(50% या 100% नियमानुसार) 80-G के अंतर्गत	रु.
इ.	अंध अथवा शारीरिक विकलांगता से पीड़ित व्यक्तियों के	रु.
	संबंध में धारा 80U अधिकतम रु. 50,000/-	
	एतदर्थ चिकित्सा का प्रमाण पत्र संलग्न करें।	
फ.	शैक्षणिक ऋण के ब्याज की कटौती (नियमानुसार)	रु.
	धारा 80-E के अंतर्गत बैंक प्रमाण पत्र संलग्न	
	करने पर	
ग.	बचत खाते पर जमा पर ब्याज अधिकतम	
	धारा 80-ITA अधिकतम 10,000/-	रु.
	कुल छूट (योग अ से ग तक)	रु.
9.	कर योग्य आय (7-8)	रु.
10.	(अ) कर योग्य आय पर देय आयकर की राशि	
	60 वर्ष से कम आयु वर्ग	
	1. रु. 2,50,000/- तक कुछ नहीं निरंक	रु.
	2. रु. 2,50,001/- से 5,00,000/- तक 5%	रु.
	3. रु. 5,00,001/- से 10,00,000/- तक 20%	रु.
	4. रु. 10,00,000/- से अधिक 30%	रु.
	60 वर्ष से अधिक तथा 80 वर्ष तक आयु वर्ग	
	1. रु. 3,00,000/- तक कुछ नहीं निरंक	रु.
	2. रु. 3,00,001/- से 5,00,000/- तक 5%	रु.
	3. रु. 5,00,001/- से 10,00,000/- तक 20%	रु.
	4. रु. 10,00,000/- से अधिक 30%	रु.
	कुल आयकर	रु.
	(व) नवीन आयकर स्लैब का चयन करने पर आयकर की राशि	
	1. रु. 3,00,000/- तक कुछ नहीं	रु.
	2. रु. 3,00,001/- से 7,00,000/- तक 5%	रु.
	3. रु. 7,00,001/- से 10,00,000/- तक 10%	रु.
	4. रु. 10,00,001/- से 12,00,000/- तक 15%	रु.
	5. रु. 12,00,001/- से 15,00,000/- तक 20%	रु.
	6. रु. 15,00,000/- से अधिक 30%	रु.
	नोट - नवीन आयकर स्लैब का चयन करने पर मकान ऋण पर देय ब्याज 2,00,000/- एवं 80-सी, 80-डी एवं ई की	
	छूट प्राप्त नहीं होगा। 80 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों के लिए रु. 5,00,000/- तक कुछ नहीं रु. 5,00,001/- से	
	रु. 10,00,000/- तक 20% तथा रु. 10,00,000/- से अधिक पर 30%	
11.	देय आयकर की राशि योग (10)	रु.
12.	घटाइए - U/S 87 A के अंतर्गत कर राहत	
	i- रुपये 12,500/- या कर जो भी कम हो	
	ii- उन्हीं करदाता के लिए जिनकी कर योग्य आय रु. 5,00,000/- से ज्यादा नहीं है।	
	iii- रुपये 25,000/- या कर जो भी कम हो (नवीन आयकर स्लैब)	
	iv- उन्हीं करदाता के लिए जिनकी कुल आय रु. 7,00,000/- से ज्यादा नहीं है।	
13.	शिक्षा अधिभार 4%	रु.
14.	कुल देय आयकर (11-12+13)	रु.
15.	धारा 89 के तहत छूट की राशि (फार्म 10 संलग्न करें)	रु.
16.	शुद्ध आयकर की राशि (14-15)	रु.

17. आयकर की अग्रिम कटौती राशि नवंबर, 2024 तक हो चुकी कुल राशि रु.
18. शेष देय आयकर की राशि जिराकी कटौती माह दिसम्बर-2024, रु.
जनवरी 2025 एवं फरवरी 2025 के वेतन से किया जाना है (16-17)

दिनांक / /20

हस्ताक्षर आयकर दाता

वचन पत्र

मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त जानकारी सही है। असत्य होने पर आयकर या उस पर देय दायित्व के लिए मैं स्वयं व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी रहूँगा/रहूँगी।

हस्ताक्षर आयकर दाता

Pt. Ravishankar Shukla University, Raipur (C.G.)

Statement of Salary & Deduction for the financial year 2024-2025

Post -

Name -

Month	Pay	Special Pay (Com. Allow.)	DA	HRA	CCA	CA	Medical Allow.	Arrears	Gross Pay	Deduction Under the Section of 80 C				Income Tax	Remarks	
										OWN CPF	Insurance	GSLI	PPF			Home Loan Installme
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Mar-24																
Apr-24																
May-24																
Jun-24																
Jul-24																
Aug-24																
Sep-24																
Oct-24																
Nov-24																
Dec-24																
Jan-25																
Feb-25																
Total																

Signature of Employee.....